

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ****दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 4045/2026**

सुरेन्द्र कुमार शर्मा उर्फ सालिकराम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- अश्वनी कुमार सिंह, अशोक कुमार

यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. सूचनाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री परितोष शुक्ला द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा को अभिलेख पर लिया जाता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथपत्र को भी अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

3. प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 73/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), 103(1), 61(2) तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25/27, थाना कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत, आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, जो मृतक के पुत्र द्वारा स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताते हुए दर्ज कराई गई है, एक मोटरसाइकिल पर रमेश मौर्य एक अज्ञात व्यक्ति के साथ सवार था तथा दूसरी मोटरसाइकिल पर अनुराग आवेदक के साथ सवार था। आवेदक तथा रमेश मौर्य के पीछे बैठे व्यक्ति ने दो गोलियाँ चलाई, जिनमें से एक गोली सूचनाकर्ता के पिता को लगी। इसी समय, सभी अभियुक्तगण वहाँ से भाग गए। तत्पश्चात् सूचनाकर्ता का कथन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने पुनः उसी कथन को दोहराया। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि एक माह 20 दिन पश्चात् सूचनाकर्ता का मजीद बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहानी को बदलते हुए यह कहा कि एक मोटरसाइकिल, जिसे रमेश मौर्य चला रहा था, पर पीछे बैठा व्यक्ति उमेश चन्द्र निषाद था तथा दूसरी मोटरसाइकिल, जिसे अनुराग मौर्य चला रहा था, पर आवेदक एवं एक केशरी उपाध्याय पीछे बैठे थे। आवेदक मोटरसाइकिल से नीचे उतरा और सूचनाकर्ता के पिता के पास जाकर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गोली लगने से चोट आई। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि मजीद बयान में सूचनाकर्ता ने एक नया अभियोजन कथानक विकसित किया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बयान में अभियोजन का मामला यह था कि दो व्यक्तियों ने गोली चलाई थी और उनमें से एक गोली सूचनाकर्ता के पिता को लगी थी। ऐसी स्थिति में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि सूचनाकर्ता के पिता को गोली किस व्यक्ति की गोली से लगी। आवेदक को पूर्व में एक अन्य मामले में भी अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें उसे जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक दिनांक 29.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा वह कार्यवाही में सहयोग करने के लिए तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

5. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि सह-अभियुक्त राहुल सिंह की पत्नी के मोबाइल फोन से एक छूटी कॉल प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात् दिनांक 20.04.2026 को विवेक कुमार उपाध्याय एवं एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) एवं 351(3) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 110/2026, थाना कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर में दर्ज कराई गई। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त राहुल सिंह द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। अतः आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा जमानत आवेदन एवं अन्य प्रासंगिक सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज बयान में यह आरोप लगाया गया है कि दो व्यक्तियों द्वारा गोली चलाई गई थी तथा मृतक के शरीर पर एक चोट पाई गई है। एक माह 20 दिन पश्चात् सूचनाकर्ता के मजीद बयान में उसने अपना बयान बदलते हुए एक अन्य व्यक्ति केशरी उपाध्याय को सम्मिलित किया तथा यह बयान दिया कि आवेदक मोटरसाइकिल से नीचे उतरा और सूचनाकर्ता के पिता के पास जाकर गोली चलाई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सूचनाकर्ता के मजीद बयान तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज उसके बयान में विरोधाभास है। अतः आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

8. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- **सुरेन्द्र कुमार शर्मा उर्फ सालिकराम-** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो, जिसके किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह उक्त तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि को आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामला प्रारंभ किए जाने, (2) आरोप विरचित किए जाने एवं (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति साशय या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार माना जाएगा।

10. विवेचना अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह विवेचना पूर्ण कर पुलिस रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करे।

11. यदि आवेदक को किसी खतरे की आशंका है, तो वह उचित सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

जून 10, 2026

अर्पण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।